न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 12/2017

1 सत्यकुमार महला पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी बास नानग तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।
2 उप पंजीयक झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 चम्पालाल पुत्र कुन्दनलाल जाति गुर्जर निवासी भुड़ला तहसील रेवाड़ी जिला रेवाड़ी हरियाणा।
4 श्रीमती धर्मवती पत्नी प्रताप सिंह जाति गुर्जर निवासी खटेला तहसील होडल जिला फरीदाबाद हरियाणा।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बउनवानी मुकदमा सत्यकुमार बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 03/2014 बखिलाफ आदेश दिनांक 01.08.2016

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

## —निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर आवेदक को खेत खसरा नम्बर 8 व 10 में कटान शुदा रास्ते से 20 व 21 में आने–जाने से नहीं रोकने एवं कटान शुदा रास्ते से खुलवाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में उक्त पत्रावली गत तारीख पेशी 22.02.2016 को आगामी पेशी उक्त रोज ही सभी पत्रावलियों में 18.05.2016 नियत की गई थी व दिनांक 18.05.2016 को सभी पत्रावलियों में आगामी तारीख पेशी 08.08.2016 नियत की गई थी व दिनांक 08.08.2016 को पत्रावली पेशी में नहीं आई तो वकील अपीलान्ट ने एतराज किया तो बताया गया कि काफी पत्रावलियों राजस्व अभियान के कारण से इधर उधर हो गई है। पत्रावलियां तलाश करके आगामी तारीख पेशियां बतला दी जावेगी परन्तु काफ़ी खोजबीन करने पर भी पत्रावाली नहीं मिली व विचारण न्यायालय ने राजस्व अभियान में किये गये निर्णयों की सुची अभिभाषक संघ को भेजी व उक्त सुची में भी उक्त मिसल का निर्णय का हवाला कही भी दर्ज नहीं था व काफी तलाश करने पर भी मिसल नहीं मिली व अब दिनांक को एक रजिस्ट्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू की मिली व उक्त रजिस्ट्री में कैवियट पेश करने की सुचना थी व कैवियट भी कोई तीसरे व्यक्ति श्रीमती सन्तरा देवी की पेश की हुई थी जो कि 20.01.2017 को पेश की गई थी व उक्त कैवियट मिलने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुंझुनूं)

पर प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में नकल की दरखवास्त 31.01.2017 को पेश की व नकल दिनांक 01.02.2017 को मिली व अदालत हाजा का कैम्प आज दिनांक 06.02.2017 को होने के कारण आज अपील मय स्थगन की दरखवास्त के साथ पेश की जा रही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तरफ से श्री विजन्द्र एडवोकेट ने वकालतनामा दिनांक 13. 02.2014 को पेश किया व दिनांक 30.10.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपना जवाब पेश किया व पत्रावली वास्ते तलबी रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 2 में चल रही थी व उनकी तरफ से ना तो कोई जवाब पेश हुआ व ना ही स्वयं उपस्थित आये पत्रावली में आर्डरशीट तलबी में ही चल रही थी। विचारण न्यायलाय मातहत ने अपनी आर्डरशीट में बिना अपीलान्ट को जानकारी के काज लिस्ट में दर्ज आगामी तारीख 18.05.2016 की जगह पत्रावली में अपनी मर्जी से तारीख पेशीयां बदलकर 03.03.2016, 30.05.2016 व 01.08.2016 नियत कर ली व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति दर्ज ना कर मोहर लगाकर के तारीख पेशी देते रहे व 01.08.2016 को आदेश पारित कर दिया व इस बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना या जानकारी नहीं रही। विचारण न्यायालय की आर्डरशीट में भी कही भी दर्ज नहीं है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तलबी हो गई हो व वे उपस्थित आकर के जवाब पेश किया हो व कही भी यह दर्ज नहीं है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तलबी हो गई हो व वे उपस्थित आकर के जवाब पेश किया हो व कही भी यह दर्ज नहीं है कि पटवारी हल्का या तहसीलदार झुन्झुनू से मौके की रिपोर्ट मांगी हो। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर आर्डरशीट दिनांक 01.08.2016 में दर्ज है कि पक्षकारान उपस्थित प्रतिवादी नम्बर 1 तहसीलदार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। बहस सुन गई परन्तु अगर तहसीलदार ने जवाब पेश किया हो व अपीलान्ट उपस्थित हो तो कानूनन अपीलान्ट को जवाब की नकल दिलवानी चाहिये थी परन्तु इस तरफ कोई हवाला अपनी आर्डरशीट में विचारण न्यायलाय ने दर्ज नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने अपने तथाकथित निर्णय दिनांक 01.08.2016 में अपीलान्ट के वकील की उपस्थिति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय सीकर

दर्ज की है व विपक्षी न पं. 3 व 4 की तरफ से तहसीलदार जी की भी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। इस तरह से निर्णय व ऑर्डरशीट दिनांक 01.08.2016 एक दुसरे के विपरीत कहते है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कही भी दर्ज नहीं किया कि अपीलान्ट की बहस सुनी गई हो यह भी आर्डरशीट दिनांक 01.08.2016 व निर्णय एक दुसरे के विपरीत कहते है। अपीलांट ने रास्ते के बाबत आवेदन 21.01.2014 को पेश किया था व विचारण न्यायालय ने पुरी कानुनी कार्यवाही ना कर ना स्वयं ने मौका मुआयना कर व ना ही मौके की वस्तुस्थिति बाबत किसी राजस्व अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्तकर मनमाने रूप से निर्णय कर अपीलान्ट के आवेदन को खारीज करने में गलती कानुनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 8 व 10 की सीमा सीमा होकर के रास्ता चाहा है जो कि सबसे कम दुरी का है व रास्ता भी सीमा सीमा होकर चाहा है कानूनन सीमा सीमा (मेड़) रास्ता दिये जाने का प्रावधान है इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर डोटेड लाईन से दर्ज रास्ते में से खसरा नम्बर 8 व 10 की सीमा सीमा (मेड़) रास्ता दिलवाया जावे। व अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018(2) पेज 1193 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 30.10.2014 से तलबी में चल रही है। दिनांक 10.05.2016 को भी पत्रावली पूर्वआदेशानुसार 30.05.2016 को नियत की गई है। 30.05.2016 को मोहर लगाकर पत्रावली 01.08.2016 को नियत की गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

है। 01.08.2016 को विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में आदेशिका में उभयपक्ष की बहस सुने जाने का अथवा दिनांक 01.08.2016 की आदेशिका का अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवा राम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर